राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :— 1645/2017

रतन लाल

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक—I, अलवर, राजस्थान।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.11.2017
आदेश की दिनांक : 29.05.2024

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री एम.एस. राघव, अभिभाषक

समक्ष :— शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड—3 के पद पर आदेश दिनांक 21.03.1995 (अनुलग्नक—1) द्वारा हुई है। उक्त आदेश से स्पष्ट है कि अपीलार्थी एससी वर्ग से है एवं अपीलार्थी की जन्म तिथी 13.03.1966 दर्शाई गई है। नियुक्ति आदेश दिनांक 21.03.1995 के अनुसरण में अपीलार्थी को दिनांक 01.07.1995 को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, इंदपुर, लक्ष्मणगढ़ में कार्यग्रहण किया। तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ द्वारा जारी वर्ष 2016—17 में प्रत्यर्थी विभाग ने वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति के लिए अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की, जिसमें अपीलार्थी को वरिष्ठता क्रमांक 837 दी गई थी, लेकिन उसे सामान्य श्रेणी में दर्शाया गया था तथा उसकी जन्म तिथी 13.06.1966 दर्शायी गयी जो कि गलत है, जबकि अपीलार्थी की वास्तविक जन्मतिथी 13.03.1966 है। जैसे ही अपीलार्थी को वरिष्ठ अध्यापक के पद पर डीपीसी 2016—2017 के लिए अंतिम वरिष्ठता सूची तैयार करते समय प्रत्यर्थी विभाग द्वारा की गई गलती का पता चला, अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग में सपंर्क किया तथा अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 22.08.2016 (अनुलग्नक—6) को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया तथा अंतिम वरिष्ठता सूची में आवश्यक सुधार करने तथा उसे सही वरिष्ठता प्रदान करने का अनुरोध किया। दिनांक 22.08.2016 को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के पश्चात अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी संख्या 3 के कार्यालय से संपर्क किया, जहां से उसे आश्वासन दिया गया कि विवरणों को ठीक कर दिया जाएगा तथा उपयुक्तता के अधीन संबंधित पद पर पदोन्नति के लिए उस पर विचार किया जाएगा, लेकिन प्रत्यर्थी विभाग द्वारा

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का आज दिनांक तक कोई निस्तारण नहीं किया गया है। यदि प्रत्यर्थी संख्या 3 का कार्यालय श्रेणी और जन्मतिथि में आवश्यक सुधार करता है तो प्रत्यर्थी विभाग को वर्ष 2016–2017 में वरिष्ठ शिक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किया जाना चाहिए। अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक श्री सीताराम, जिसको दिनांक 11.11.1995 में नियुक्ति दी गई थी, को वर्ष 2016–2017 डीपीसी में वरिष्ठ शिक्षक के पद पर पदोन्नति दी गई। प्रत्यर्थी विभाग की गलती के कारण अपीलकर्ता से कनिष्ठ कार्मिक को उच्च पदोन्नति पद पर पदोन्नत किया गया है। (अनुलग्नक–7) अपीलार्थी ने फिर से प्रत्यर्थी विभाग से निवेदन किया तथा प्रत्यर्थी विभाग ने आश्वासन दिया कि समय की कमी के कारण सुधार नहीं हो सका लेकिन अगली बार उसे सही श्रेणी में रखा जाएगा और जन्म तिथी में सुधार किया जाएगा, जिसका उल्लेख विद्यालय रिकार्ड, आवेदन पत्र, नियुक्ति आदेश एवं सेवा रिकार्ड रजिस्टर में किया गया है लेकिन प्रत्यर्थी विभाग ने वर्ष 2017–2018 की रिक्ति के खिलाफ डीपीसी के लिए फिर से वरिष्ठता सूची जारी की, जिसमें उन्होंने वही गलती की और अपीलकर्ता को सामान्य की श्रेणी में दिखाया। (अनुलग्नक–8) इसके बाद अपीलार्थी ने पुनः क्रमशः दिनांक 26.04.2017 और 01.05.2017 को अधिकारियों को फिर से अभ्यावेदन प्रस्तुत किए। लेकिन प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई विचार नहीं किया गया। इसके बाद वरिष्ठता सूची के अनुसरण में प्रत्यर्थी विभाग ने एक बार फिर एक अन्य कार्मिक मोहन लाल वर्मा को वरिष्ठ शिक्षक के पद पर पदोन्नत किया, जिसे अपीलार्थी को जिस महीने में नियुक्त किया गया था उसी महीने में उसे नियुक्त किया गया था। अपीलार्थी अनुसूचित जाति वर्ग का है तथा उसकी वास्तविक जन्मतिथि 13.03.1966 है परन्तु डीपीसी हेतु वरिष्ठता सूची में उसे सामान्य वर्ग में दर्शाया गया है तथा उसकी जन्मतिथि भी त्रुटिपूर्ण परिलक्षित हुई है। इस कारण अपीलकर्ता को बिना किसी गलती के अपने अधिकारों से वंचित रखा गया, जो व्यक्ति समान एवं कनिष्ठ होते हैं अपीलार्थी की उपयुक्तता को नजरअंदाज करते हुए उन्हें वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नत किया गया है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावे कि अपीलार्थी को अनुसूचित जाति की श्रेणी में माना जावे तथा उसकी जन्म तिथी, विशेष रूप से माह में सुधार किया जाकर उसकी पात्रता की तिथी से पदोन्नति कि लिए विचार किया जावे। साथ ही अपीलार्थी को उससे कनिष्ठ कार्मिकों की पदोन्नति तिथी से सभी परिणामी लाभ प्रदान कराये जावे और वर्ष 2016–17 एवं उसके बाद की वर्ष की रिक्तियों के विरूद्ध डीपीसी आयोजित की जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना एवं बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी चार सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी छः सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहां यह स्पष्ट है कि

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य